प्रेस नोट **29.10.2022**

चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की तीन मोटरसाइकिल व चोरी की एक मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.10.2022 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सलाहाबाद मोड़ से घेराबन्दी कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपना नाम क्रमशः मुकेश कुमार पुत्र श्रीमल राम निवासी भरलाई बैराजपुर थाना दक्षिणटोला, दूसरे का नाम राजू चौहान पुत्र रविन्द्र चौहान निवासी महराबंधा थाना सरायलखंसी जनपद मऊ पता चला जब बरामद मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तथा ई–चालान एप से सर्च किया गया तो वाहनों का नम्बर प्लेट बदला हुआ मिला। जब कड़ाई से इस सम्बन्ध में पूछताछ किया गया उनके द्वारा बताया गया कि हमलोग मोटरसाइकिल चोरी करते है यह भी मोटरसाइकिल हम लोग चोरी कर के बेचने लेकर जा रहे थे तथा यह मोटरसाइकिल हम लोग अपने दोस्त रवि चौहान पुत्र स्व0 रामअधार निवासी इटौरा थाना रानीपुर व चन्दन चौहान पुत्र नंन्दु चौहान निवासी ओनराइच थाना सरायलखंसी की मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान क्रमशः इटौरा चट्टी व महराबंधा चट्टी पर है वही पर बेचते है। जिसको वह लोग चोरी की मोटरसाइकिलों को पार्ट्स में कनवर्ट कर पार्ट्स को बाजार मे बेच देते है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्तो के निशानदेही पर दोनो अभियुक्तो के दुकान पर जाकर उनको गिरफ्तार किया गया तथा वहा से एक मोटरसाइकिल व एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 489/22 धारा 419,420,411,413,414 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मुकेश कुमार पुत्र श्रीमल राम निवासी भरलाई बैराजपुर थाना दक्षिणटोला।
2. राजू चौहान पुत्र रविन्द्र चौहान निवासी महराबंधा थाना सरायलखंसी।
3. चन्दन चौहान पुत्र नंन्दु चौहान निवासी ओनराइच थाना सरायलखंसी।
4. रवि चौहान पुत्र स्व0 रामअधार चौहान निवासी इटौरा थाना रानीपुर।

बरामदगी–

1. एक चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर (यूपी60सी4248)।
2. एक चोरी की मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर (यूपी60सी5247)।
3. एक चोरी की हीरो स्प्लेण्डर (यूपी61एएफ7405)।
4. एक चोरी की मोटरसाइकिल के स्पयेर पार्ट्स (यूपी61एई3405) सभी नम्बर प्लेट बदले हुए।

शांति भंग की आशंका में 30 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 29.10.2022 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा दीपक मद्धेशिया, निरज निवासीगण जमीनदुर्गा थाना चिरैयाकोट, थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा टूनटून उर्फ राजेश निवासी बैजापुर थाना दक्षिणटोला, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा लालधर, सुमन्त निवासीगण बलौली सोनबरसा थाना दोहरीघाट, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा जयनाथ निवासी दिलसादपुर, कोमल, अमित निवासीगण जमीन सहरूल्लाह, अमित कुमार, ओमप्रकाश, हैपी सिंह निवासीगण मखना थाना हलधरपुर, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा रधुवीर, चन्द्रशेखर निवासीगण चौबेपुर, श्रीमती रीला देवी, आरती, नवमी निवासीगण धवरियासाथ थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा गुलाबचन्द्र निवासी चकबकसुपुर, महेन्द्र, देवीलाल निवासीगण सौदी, श्याम यादव, गणेश, अवधेश निवासीगण भेलउर, सुभद्रा निवासी भौरापुर थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा जगजीवन राम निवासी मालोपिटोखर थाना मुहम्मदाबाद, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आलोक कुमार, प्रमोद कुमार, शिवम कुमार निवासीगण ताजोपुर, हीरालाल, हीरालाल निवासीगण कछार थाना सरायलखंसी, थाना रामपुर पुलिस द्वारा फिरोज निवासी जवाहीरपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुनिल यादव पुत्र लोचन यादव निवासी बनियापार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

छठ त्यौहार के दृष्टिगत जनपद मऊ में दिनांक 30.10.2022 व 31.10.2022 को निम्नानुसार रूट डायवर्जन/यातायात व्यवस्था लागू किया गया है–

भारी वाहनों का रूट डायवर्जन–

1. गाजीपुर की तरफ से आने वाले वाहन, जिनको आजमगढ़ की तरफ जाना है, वो बढुआ गोदाम से मतलूपुर होते हुये आजमगढ़ जायेंगे।
2. आजमगढ़ की तरफ से आने वाले भारी वाहन, जिनको गाजीपुर की तरफ जाना है, पूर्वांचल एक्स–प्रेस वे तथा जिनको बलिया जाना होगा उन्हे मतलूपुर मोड़ से डायर्वट किया जायेगा, जो डांडी मोड़, बलिया मोड़ होते हुये बलिया को जायेंगे।
3. गोरखपुर की तरफ से आने वाले भारी वाहन, जिनको गाजीपुर–वाराणसी जाना है उन्हे डांडी मोड़ से मतलूपुर की तरफ मोड़ दिया जायेगा जो बढुआगोदाम होते हुये वाराणसी व गाजीपुर को जायेंगे।

छोट वाहनों का रूट डायवर्जन (दोपहिया, तीनपहिया व चारपहिया)–

1. कोई भी छोटा वाहन बाल निकेतन से भीटी की तरफ नही जायेगा। छोटे वाहनों को आजमगढ़ मोड़ की तरफ डायवर्ट कर दिया जायेगा।
2. ढेकुलिया मोड़ से कोई भी वाहन शहर के अन्दर प्रवेश नही करेगा। यहां पर बैरियर की व्यवस्था की जायेगी जिससे कोई वाहन प्रवेश न कर सके।
3. टीसीआई मोड़ की तरफ से किसी भी वाहन को ढेकुलिया घाट की तरफ नही आने दिया जायेगा, बल्कि उन्हे बन्धे की तरफ मोड़ दिया जायेगा।
4. भीटी चौक से भीटी घाट तक कोई भी वाहन जाने नही दिया जायेगा। उक्त स्थान पर बैरियर लगाकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5. रेलवे क्रासिंग थाना कोतवाली से कोई भी वाहन ढेकुलिया घाट की तरफ जाने नही दिया जायेगा, उन्हे मिर्जाहादीपुर की तरफ मोड़ दिया जायेगा।
6. ब्रह्मस्थान से भीटी की तरफ कोई भी वाहन नही आने दिया जायेगा बल्कि उन्हे वापस कर दिया जायेगा जो गाजीपुर तिराहा होते हुये अपने गन्तव्य को जायेंगे।